अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

कृष्णा कुमारी V/s महेन्द्र सांगवा

2022/223

तारीख	हुक्म या कार्यवाही मय हस्ताक्षर	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील जारी हुए
पेशी	2022/341 सहित चौधरी - 1 श्री दिनेश शर्मा श्री अनिल शर्मा - 3	

कृष्णा कुमार पत्नी विजय सिंह बनाम महेन्द्र सांगवा वगैरह (2022/341)

18/5/23 पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक अपीलांट व रेस्पोडेन्ट संख्या 01, 03 उपस्थित। अभिभाषक रेस्पोडेन्टस ने बताया कि माननीय मण्डल में विचाराधीन मुन्तकिल प्रार्थना पत्र को हम नोट प्रेस कर देगें और प्रकरण में दिनांक 08.02.2023 को राजीनामा हो चुका है फिर भी अभिभाषक अपीलांट अपील पर बहस करना चाहते है तो बहस सुनी जावे। अपील पर अभिभाषक उभयपक्ष को सुना गया। पत्रावली वास्ते निर्णय अपील हेतु रिजर्व रखी जाती हैं ।

24/5/23 पत्रावली वास्ते आदेशाथ पेश हुई। अभिभाषक अपीलांट एवं अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 01, 3 को दिनांक 18.05.2023 को अपील पर सुना गया।

अभिभाषक उभयपक्ष के द्वारा की गई बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावलियों का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन प्रस्तुत प्रकरण में दिनांक 08.02.2023 को विजय सिंह पुत्र मानसिंह बनाम राजेश कुमार पुत्र रामकरण के मध्य राजीनामा विलेख–पत्र किया गया। राजीनामे के पैरा संख्या 06 में दोनो पक्षों द्वारा एक–दूसरे के विरूद्ध सम्पादित की गयी विधिक कार्यवाहियों यथा सिविल न्यायालय दूदू, उपखण्ड अधिकारी, दूदू , राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर एवं माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर के समक्ष विचाराधीन है को अपने–अपने स्तर पर विड्रो (समाप्त)कर लिये जायेगें। उक्त राजीनामा में अपीलांट कृष्णा कुमारी पत्नी विजयसिंह राजपूत के बतौर साक्षी में हस्ताक्षर किये गये है। इस प्रकार प्रकरण से सम्बन्धित पक्षकारान के मध्य आपसी राजीनामा हो चुका है जिसकी जानकारी अपीलांट कृष्णा कुमारी को भी है। इसलिए पक्षकारान के मध्य आपसी राजीनामा होने से अपील सारहीन हो चुकी है। अतः अपील अपीलांट राजीनामा हो जाने से खारिज की जाती है। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो।

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

Scanned with CamScanner